

15.03 hrs

## STATEMENT RE: PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) ORDINANCE, 1980

THE MINISTER OF PLANNING AND LABOUR (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): I beg to lay on the Table an explanatory statement (Hindi and English versions) giving reasons for immediate legislation by the Payment of Bonus (Amendment) Ordinance, 1980.

15.03 hrs.

## TEA (AMENDMENT) BILL\*

THE MINISTER OF COMMERCE AND STEEL AND MINES (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Tea Act, 1953.

MR. SPEAKER: The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Tea Act, 1953."

*The motion was adopted.*

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I introduce the Bill.

15.04 hrs.

## STATEMENT RE: TEA (AMENDMENT) ORDINANCE, 1980

THE MINISTER OF COMMERCE AND STEEL AND MINES (SHRI PRANAB MUKHERJEE): I beg to lay on the Table an explanatory statement (Hindi and English versions) giving reasons for immediate legislation by the Tea (Amendment) Ordinance, 1980.

15.40 hrs.

## MATTERS UNDER RULE 377

## (i) REPORTED DEATH OF A NUMBER OF PERSONS IN HARYANA AFTER CONSUMING SPURIOUS LIQUOR

MR. SPEAKER: Shri Devi Lal. What is written in the statement, whatever has been allowed, shall go on record.

श्री देवी लाल (सोनीपत) : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों काफी संख्या में लोगों को देशी शराब पीने से हरियाणा के सीमावर्ती इलाके में सैकड़ों मृत्यु हो गई हैं। फलस्वरूप सैकड़ों की तादाद में लोग अन्धे हो चुके हैं और अभी तक वे लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। मैं स्वयं 5 दिसम्बर को हरियाणा के भूतपूर्व गृह मंत्री एवं विधायक के साथ सिरसा जिला के कालावाली, जहाँ यह दुखद घटना घटी है, गया था। रोही, रोहन, सुरतीया, कुरनावाली, रूगू आदि करीब बीसों गांवों में देखने के बाद जो दुखद घटना घटी है, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। एक ही हरिजन मोहल्ला में 16 और एक ही परिवार के 4 हरिजनों की मृत्यु हो चुकी है। इसी तरह हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में करीब 200 से अधिक व्यक्ति अर्धे एवं जहरीली शराब पीकर मर चुके हैं। कस्बे में धारा 144 लागू है। वहाँ की सरकार अर्धे शराब विधेता के खिलाफ आपके लोक सभा में स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। ऐसी घटनाएँ प्रायः घटती रहती हैं। इतना ही नहीं कालावाली में प्रशासन की साठ-गाठ से पोस्त, अफीम और अर्धे शराब की तस्करी होती रहती है। इन घटनाओं से क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है। इस संदर्भ में 7 दिसम्बर को विरोध में एक बहुत बड़ी जनसभा हुई थी। यदि सरकार ने सही मुजरिम को पकड़कर जेल में बन्द नहीं किया तो वहाँ और भी अप्रिय घटना घट सकती है।

अतः गृह मंत्री जी से मांग करता हूँ कि वे सदन में इस संदर्भ में एक वक्तव्य दें।